



शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम, मुंबई

जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम के तहत प्रत्येक जमाकर्ताओं के बैंक में 5,00,000/- तक जमा किये गये रूपये पूरी तरह से सुरक्षित हैं। यह योजना भारत में संचालित सभी वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) को कवर करती है और उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सहकारी बैंकों को भी शामिल करती है जिनके लिए केंद्र सरकार द्वारा योजना का विस्तार किया गया है। ये बैंक निगम के साथ बीमाकृत बैंकों के रूप में पंजीकृत हैं।

बीमित जमाओं के संबंध में निगम की देयता निम्नलिखित मामलों में उत्पन्न होगी

यदि कोई बैंक परिसमापन में जाता है: बीमा योजना के तहत निगम प्रत्येक जमाकर्ता को सीधे या परिसमापक के माध्यम से देय राशि का भुगतान करने की व्यवस्था करेगा

यदि किसी बैंक का पुनर्निर्माण किया जाता है या किसी अन्य बैंक के साथ समामेलित किया जाता है और पुनर्निर्माण या समामेलन की योजना जमाकर्ता को उसकी जमा राशि की पूरी राशि के लिए क्रेडिट प्राप्त करने का अधिकार नहीं देती है। निगम पुनर्निर्मित बैंक या समामेलित बैंक को बीमा योजना के तहत जमाकर्ता को देय राशि और पुनर्निर्माण या समामेलन की योजना के तहत उसके द्वारा प्राप्त ऋण की राशि के बीच की कमी के बराबर राशि का भुगतान करने की व्यवस्था करेगा।